निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 माघ 1945 (श0)

(सं0 पटना 107) पटना, वृहस्पतिवार, 8 फरवरी 2024

बिहार विधान परिषद्

अधिसूचना

6 फरवरी 2024

संख्या– वि.प.अ.प्र.-32/2023 -227(1)वि.प.—भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 के प्रावधान के आलोक में माननीय सदस्य डॉ० सुनिल कुमार सिंह, तत्कालीन उप मुख्य सचेतक (सत्तारूढ़ दल) की याचिका दिनांक - 02.11.2023 के आलोक में माननीय सदस्य प्रो० (डॉ०) रामबली सिंह को बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निरर्हित किये जाने संबंधी वाद पर न्याय निर्णय

आदेश

डॉ० सुनिल कुमार सिंह माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद्, तत्कालीन उप मुख्य सचेतक (सत्तारूढ़ दल) द्वारा दिनांक- 02.11.2023 को मेरे समक्ष एक लिखित याचिका राजद सदस्य, प्रो०(डॉ०) रामबली सिंह को बिहार विधान परिषद् के सदस्यता से निरर्हित करने हेतु दिया है। माननीय सदस्य डॉ० सुनिल कुमार सिंह को पत्रांक - 838 दिनांक - 02.11.2023 द्वारा माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के बिहार विधान मंडल के नेता ने प्रो०(डॉ०) रामबली सिंह को निरर्हित करने के लिए याचिका/आवेदन देने हेतु अधिकृत किया है, जो डॉ० सुनिल कुमार सिंह की याचिका दिनांक - 02.11.2023 के साथ संलग्न है।

माननीय सदस्य डॉ० सुनिल कुमार सिंह ने याचिका में कहा है कि प्रो० (डॉ०) रामबली सिंह बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों द्वारा द्विवार्षिक चुनाव में दल के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य रहते हुए वह राजद विधान मंडल

दल के नेता पर मनगढंत आरोप लगाए कि "तेजस्वी प्रसाद यादव भी पीते हैं शराब"। दल के नीति के खिलाफ अतिपिछड़ा समाज को खंडित करने के उद्देश्य से तेली, तमोली (चौरसिया) और दांगी जाति को मूल अतिपिछड़ा श्रेणी से अलग करने संबंधी बयान दिए एवं बैनर पोस्टर लगाकर पदयात्रा और सम्मेलन किए। इस कार्यक्रम में न तो दल का चुनाव चिह्न पोस्टर पर लगाए और न ही दल का झंडा लगाए। जाति आधारित गणना के खिलाफ बयान "नीतीश सरकार ने जाति आधारित गणना में बड़ी चालाकी से घालमेल किया है" दिये हैं। इस तरह के बयान से भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए अनर्गल आरोप की पुष्टि होती है। इससे संबंधित कारण बताओ नोटिस प्रदेश अध्यक्षजी के द्वारा पत्रांक- 405/23 दिनांक- 06 जनवरी, 2023, पत्रांक- 289/23 दिनांक- 02 अक्टूबर, 2023 एवं पत्रांक- 324/23 दिनांक- 12 अक्टूबर, 2023 से उन्हें भेजा गया था, परंतु दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के पत्र का जवाब आया है, जो उनके विरूद्ध लगाए किसी आरोपों का खंडन नहीं करता है। सम्यकरूपेण विचारोपरांत दल ने इसे अपने नेता एवं दल के विरूद्ध अपमानजनक कृत्य माना है।

उनके उपरोक्त कृत्य एवं आचरण से यह स्पष्ट है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता का स्वेच्छया परित्याग कर दिए हैं, अतएव वह भारत के संविधान की धारा 191 सह पठित दसवीं अनुसूची के पैरा 2(क) के अंतर्गत बिहार विधान परिषद्, की सदस्यता के लिए निरर्हित हो चुके हैं। ऊपर वर्णित पत्रों एवं समाचार पत्रों की छाया प्रति संलग्न। उपरोक्त के आलोक में आपसे सादर अनुरोध है कि श्री रामबली सिंह को बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निरर्हित घोषित करने की कृपा करेंगे। सादर।

याचिका के साथ डॉ० सुनिल कुमार सिंह ने याचिका में उल्लिखित तथ्यों के समर्थन में पत्रों एवं समाचार पत्रों के छाया प्रतियों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की है ।

इसके आलोक में मैंने डॉ० सुनिल कुमार सिंह से प्राप्त आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों के सन्दर्भ में भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधान एवं तत्संबंधी बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 के उपबंधों के अधीन निरर्हता से ग्रसित होने से संबंधित याचिका की प्रति प्रो० (डॉ०) रामबली सिंह स.वि.प. को दिनांक- 21.11.2023 को भेजते हुए सात दिनों के अंदर उनसे स्पष्टीकरण (कथन) की मांग की।

इस स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रो० (डॉ०) रामबली सिंह ने दिनांक- 01.12.2023 को सूचित किया, : "सविनय निवेदन यह है कि मुझे विधान परिषद् सदस्य के रूप में मनगढंत दलगत नीतियों के विरूद्ध कथित अपराध के लिए मेरी सदस्यता निरर्हन करने के लिए सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। पत्र में तिथि 21.11.2023 अंकित है परंतु पत्र मेरे आवास पर किसी अपरिचित व्यक्ति को 30.11.2023 को शाम में देकर चला गया उस वक्त मैं अपने भगीना की शादी की तैयारी में गांव गया हुआ था। इस बात की पुष्टि उस कर्मचारी से की जा सकती है या मेरे आवास पर CCTV के Footage से प्रमाणित किया जा सकता है। अत: श्रीमान् से आग्रह होगा कि स्थापित प्रशासनिक परम्परा के अनुसार उचित नहीं प्रतीत होता, जबकि अभी मैं भगीना की शादी में व्यस्त हूँ, इसलिए स्पष्टीकरण का जबाब हेतु 15 दिनों का समय देने की कृपा की जाय।"

माननीय सदस्य प्रो० (डॉ०) रामबली सिंह के इस अनुरोध के आलोक में मैंने बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिर्वतन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 के नियम 7(ख) के अधीन वांछित स्पष्टीकरण (कथन) हेतु अवधि विस्तारित किया।

इस अवधि विस्तार के पश्चात् माननीय सदस्य प्रो० (डॉ०) रामबली सिंह ने Written statement raising preliminary issue regarding maintainability of complaint dated 15.12.2023 के माध्यम से यह कहा कि:"

1. यह कि इस आवेदन के माध्यम से, अभिसाक्षी भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची का खंड-2(1) (ए) के तहत बिहार विधान परिषद की सदस्यता से अभिसाक्षी को अयोग्य घोषित करने के लिए बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री सुनील सिंह द्वारा दायर याचिका की विचारणीयता के संबंध में अपनी प्रारंभिक आपत्ति उठाना चाहता है।

2. शुरुआत में, यह कहा गया है कि चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में लगाए गए आरोप किसी भी तरह से अयोग्यता खंड को आकर्षित नहीं करते हैं, जैसा कि दसवीं अनुसूची के खंड-2(1) (ए) के तहत विचार किया गया है, वर्तमान कार्यवाही विचारणीय नहीं है और इसलिए अस्वीकार किये जाने योग्य है।

3. यह आगे कहा गया है कि भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के क्लाउज 8 के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर, संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दायर कार्यवाही को रद्द करने के लिए बिहार विधान परिषद् ने बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1994 (इसके बाद अयोग्यता नियम के रूप में संदर्भित) के नाम पर अयोग्यता नियम बनाए थे।

4. कि, अयोग्यता नियमों के नियम 6(5) में शिकायत याचिका की सामग्री के बारे में बताया जाएगा और उक्त नियम के नियम 6(6) में यह आवश्यक होगा कि शिकायतकर्ता शिकायत याचिका के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा और यह अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा।

5. अयोग्यता नियमों के नियम 6(7) में यह भी प्रावधान है कि शिकायत याचिका के साथ संलग्नक पर शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर भी किए जाएंगे और इसे मुख्य याचिका के सत्यापन के लिए निर्धारित तरीके में सत्यापित भी किया जाएगा।

6. यह कि, अयोग्यता नियमों के नियम-7 के तहत अध्यक्ष पर पहले यह विचार करने का कर्तव्य होगा कि क्या याचिका नियम-6 की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है और अयोग्यता नियमों के नियम-7 के उप-नियम-2 ने इसे अनिवार्य कर दिया है। यदि याचिका अयोग्यता नियम के नियम-6 की आवश्यकता का पालन नहीं करती है तो याचिका को अस्वीकार करने और शिकायतकर्ता को सूचित करने का अध्यक्ष का कर्तव्य है।

7. कि, शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत याचिका का केवल अवलोकन, जिसकी एक प्रति दिनांक 21.11.2023 के पत्र के साथ अभिसाक्षी को दी गई है, यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत में नियम-6 की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं होता है, यहां तक कि शिकायत याचिका की दलील और उसके संलग्नकों को सिविल संहिता प्रक्रिया, 1908 के तहत दलीलों के सत्यापन के लिए निर्धारित तरीके से सत्यापित नहीं किया गया है।

8. चूंकि अयोग्यता नियमों में नियम-6 के तहत निहित प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना निर्धारित किया गया है और निर्धारित जुर्माना शिकायत की अस्वीकृति है, इसलिए शिकायत याचिका इस अदालत द्वारा अयोग्यता नियमों के नियम-7(2) के तहत शक्ति का प्रयोग करके खारिज कर दी जानी चाहिए।

9. यह बताना प्रासंगिक है कि चूंकि इस न्यायालय के आदेशों के तहत अभिसाक्षी को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अयोग्यता नियमों और दायर की गई शिकायत को देखे बिना, जारी किए गए नोटिस के खिलाफ अभिसाक्षी ने माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। टोकन नंबर CWJC-26280/2023 के माध्यम से रिट याचिका दायर की है जिसमें उक्त रिट याचिका की सुनवाई शीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है।

10. चूंकि इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया नोटिस पूरी तरह से अवैध है और शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत अयोग्यता नियमों के नियम 6 की आवश्यकता का पालन नहीं करती है, इसलिए शिकायत याचिका खारिज करने योग्य है।

11. कि, अवसर आने पर अभिसाक्षी के पास शिकायत के गुण-दोष के आधार पर विस्तृत कारण बताओ दायर करने का अधिकार सुरक्षित है।

इसलिए, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि महामहिम भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत शिकायतकर्ता द्वारा बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने के लिए दायर की गई शिकायत याचिका को अस्वीकार करने की कृपा करें।

और/या

ऐसे अन्य आदेश या आदेश पारित करें जिन्हें आप माननीय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझें। और

इसके लिए अभिसाक्षी सदैव प्रार्थना करेगा।''

परंतु माननीय सदस्य प्रो० (डॉ०) रामबली सिंह ने माननीय सदस्य डॉ० सुनिल कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका की पोषणीयता (Maintainability) के अलावा याचिका में उल्लिखित तथ्य एवं उनके विरूद्ध लगाये गए आरोप के खंडन हेतु पर्याप्त अवसर के बाद भी कोई तथ्य/कथन प्रस्तुत नहीं किया।

इस परिप्रेक्ष्य में मैंने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य प्रो० (डॉ०) रामबली सिंह एवं याचिकादाता माननीय सदस्य डॉ० सुनिल कुमार सिंह को अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का और व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दिनांक- 09.01.2024 एवं पक्षकारों को अंतिम अवसर देते हुए दिनांक- 16.01.2024 को अपना पक्ष रखने का मौका दिया।

दिनांक- 09.01.2024 की सुनवाई आरम्भ होते ही माननीय सदस्य डॉ० सुनिल कुमार सिंह के अधिवक्ता श्री वाई०बी०गिरी ने कहा कि ''सर, प्रतिवादी का इस संबंध में कहना है कि जो पेटिशन है वह गलत है। हमने अपने जवाब में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। मैंने अपने जवाब में कहा है कि सिर्फ केस के मेरिट पर सुनवाई की जाय। संविधान की दसवीं अनुसूची में स्पष्ट उल्लेख है कि इस संबंध में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा और माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।''

इतने पर माननीय सदस्य प्रो० (डॉ०) रामबली सिंह ने कहा कि "सर, हम अनुरोध पत्र दे रहे हैं। हमारे अधिवक्ता नहीं आ सके हैं। हमको समय दिया जाय ताकि हम अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकें। हम उस संबंध में पत्र दे रहे हैं।"

पुन: श्री वाई०बी०गिरी अधिवक्ता ने कहा कि समय की मांग तो होती ही रहेगी क्योंकि यह डिले करने का कारण है। ये हाईकोर्ट में भी चले गए हैं। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि इस संबंध में सभापति, विधान परिषद् और अध्यक्ष, विधान सभा का निर्णय अंतिम होगा।

मैंने कहा कि माननीय सदस्य प्रो० (डॉ०) रामबली सिंह ने समय की मांग की है। इस पर श्री वाई०बी०गिरी ने कहा कि "मैं तो इसका विरोध करता हूँ। इस तरह के केस में यह डिले करने की प्रवृति होती है। डिले इसलिए किया जाता है कि जितनी देर होगी उतने दिन की सदस्यता मेरी बरकरार रहेगी। इनको जब नोटिस दिया गया तो इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और हाईकोर्ट में चले गए। संविधान की दसवीं अनुसूची में स्पष्ट उल्लेख है कि हाईकोर्ट में इसका रिव्यु नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच ने भी कहा है कि बहुत ही स्माल रिव्यु कर सकते हैं लेकिन केस के मेरिट पर रिव्यु नहीं कर सकते हैं। रिव्यु वैसे ही केस में हो सकता है जहां पर नेचुरल जस्टिस का हनन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच का भी इसमें निर्णय है कि सभापति और अध्यक्ष का निर्णय ही मान्य होगा क्योंकि इनको एक तरह से ट्रिब्यूनल का पावर है।

मैंने श्री वाई०बी०गिरी से पूछा कि किस तरह के नेचुरल जस्टिस के कारण में कोर्ट रिव्यु कर सकता है। इस पर श्री वाई०बी०गिरी ने कहा कि नेचुरल जस्टिस का मतलब कि उनको नोटिस नहीं दिया गया, या नोटिस देने के बाद जवाब देने के लिए उपयुक्त समय नहीं दिया गया इसी तरह का है। इन्होंने हाईकोर्ट में जो केस किया है उसमें कहा है कि नियम 6 और 7 को फौलो नहीं किया गया है। जो मामले को लंबित करने का उद्देश्य है।

इस पर माननीय सदस्य प्रो०(डॉ०) रामबली सिंह ने अपने अधिवक्ता के साथ आने की अनुमति मांगी और समय की मांग की। उन्हें अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी गयी और सुनवाई के लिए दिनांक- 16.01.2024 की तिथि रखी गयी। उनसे यह कहा गया कि यह अवसर उनके लिए अंतिम होगा, उन्हें अपने पक्ष में जो भी बात रखनी हो या जो भी अभिलेख, साक्ष्य देना होगा, वे अंतिम रूप से स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं।

दिनांक-16.01.2024 को सुनवाई आरंभ होते ही माननीय सदस्य प्रो०(डॉ०) रामबली सिंह के अधिवक्ता श्री एस०बी०के० मंगलम ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 इसी विधान परिषद् द्वारा पारित है। इसके पृष्ठ-4 की कंडिका संख्या-6 को देखा जाए। प्रस्तुत विषय में इसका पालन नहीं किया गया है। इसमें लिखा हुआ है:

(6) अभिदेश का याचिका द्वारा किया जाना (1) कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है अथवा नहीं इस प्रश्न का अभिदेश उस सदस्य के संबंध में इस नियम के उपबंधों के अनुसार दी गई याचिका के द्वारा ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(2) किसी सदस्य के संबंध में याचिका किसी अन्य सदस्य द्वारा सभापति को लिखित रूप में दी जा सकेगी। आगे (5) में है कि प्रत्येक याचिका में-

(क) उन तात्विक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा, जिन पर याचिकादाता निर्भर है, और

(ख) याचिका के साथ ऐसे प्रलेखी साक्ष्य (डोकुमेंट्री एभिडेंस) यदि कोई हो, की प्रतियां संलग्न होगी-जिन पर याचिकादाता निर्भर हैं और जहां याचिकादाता किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई किसी जानकारी पर निर्भर है, वहां ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम और पता सहित विवरण और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई ऐसी जानकारी का सारांश संलग्न होगा।

(6) याचिका के प्रत्येक पृष्ठ पर याचिकादाता का हस्ताक्षर होगा और उसे अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित रीति से सत्यापित किया जाएगा।

(7) याचिका के प्रत्येक अनुबंध (एनेक्सचर) पर भी याचिकादाता का हस्ताक्षर होगा और उसे मूल याचिका के समान ही सत्यापित किया जाएगा।

7. प्रक्रिया -

(1) नियम-6 के अधीन प्राप्त याचिका पर सभापति प्रथमतः इस बात पर विचार करेगा कि याचिका नियम-6 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है अथवा नहीं।

(2) यदि याचिका नियम-6 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है, तो सभापति याचिका को रद्द कर देगा और तदनुसार याचिकादाता को संसूचित करेगा।

इसमें यह भी वर्णित है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित रीति में सत्यापित किया जाएगा। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कतिपय न्यायादेश भी पारित किए गए हैं। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला पोषणीय (Maintainable) नहीं है और इस याचिका को निरस्त किया जाना चाहिए। इस हाऊस में पारित नियमों में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही कोड ऑफ सिविल प्रोसिज्योर, 1908 का अनुपालन ही किया गया है। इस प्रकार धारा-7 में वर्णित प्रावधान के अनुसार माननीय सभापति महोदय द्वारा इस वाद को खत्म करने का आदेश दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, इनमें वर्णित प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही चलाने का भी प्रावधान इसमें है।

इस पर माननीय सदस्य डॉ० सुनिल कुमार सिंह के अधिवक्ता श्री वाई०बी०गिरी ने कहा कि महोदय, हमारे विद्वान मित्र ने जो कुछ कहा है उसके संबंध में कुछ बिन्दुओं का उल्लेख करने की अनुमति चाहता हूं, ''माननीय सदस्य प्रो० (डॉ०) रामबली सिंह की सदस्यता से निरर्हता के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 17852 ऑफ 2023 डाली गई। यह याचिका पूर्ण रूप से मामले को अधिक देर तक लटकाने या लम्बा खींचने के उद्देश्य से किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से यह याचिका दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कहा गया कि

बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 के नियम -6(2) के अधीन दी गई नोटिस को न्यायिक नहीं माना जा सकता है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने न्यायादेश में स्पष्ट कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी बात माननीय सभापति महोदय के समक्ष रखनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि यदि शो काऊज उनके द्वारा जारी किया गया है तो इसका जवाब भी माननीय सभापति महोदय को दिया जाना चाहिए। इस प्रकार माननीय कोर्ट ने इस मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया।'' मेरा कहना है कि संविधान की दसवीं अनुसूची में स्पष्ट प्रावधान किया गया है और इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायादेशों में स्थिति बिलकुल स्पष्ट कर दी गई है। इस संबंध में यह कहना है कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा सिर्फ इस आधार पर याचिका को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है कि इसमें दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम, 1994 का नियम 6 का अनुपालन नहीं किया गया है। कई मामलों में हमारे मित्र ने इसी धारा-6 को उद्धृत किया है और हरेक बार इनके तर्क को नहीं माना गया है। इनका यह तर्क शगुनिया तर्क है जिसका उपयोग ये हरेक बार करते हैं और हरेक बार कोर्ट द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। रवि एस. नायक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के मामले में भी (Civil Appeal No. 2904 of 1993 with C.A. No. 3309 of 1993, decided on February 9, 1994) चेयरमैन को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि एक बार यदि कार्यवाही आरंभ हो जाए, नोटिस इश्यू हो जाए तो वह प्रोसिडिंग्स को रोक सकता है अथवा रिव्यू कर सकता है,दसवीं अनुसूची में यह अधिकार नहीं दिया गया है। Kihoto Hollohan मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा ही न्यायादेश पारित किया है।

एक और मामले को कोट करना उचित समझता हूं हालांकि इस केस में मैं हार गया था परन्तु इसमें से निकली कुछ बिन्दुएं यहां संदर्भित होनेवाली हैं। यह केस 2009 SCC Online Pat 1399: (2009) 4 PLJR 240:, Jai Narayan Prasad Nishad Vs. The Union of India, through the Secretary, Parliamentary Affairs, New Delhi and Ors. CWJC No. 5914 of 2008 है और इसमे संबंधित जजमेंट डॉक्युमेंट्स में लगा दी गई है।

ज्ञानेन्द्र सिंह मामले में विद्वान अधिवक्ता एस०बी०के० मंगलम ने सुनवाई से पूर्व यह अनुरोध किया कि उपरोक्त वादों में सर्वप्रथम इश्यू फ्रेम किया जाना चाहिए और उसके उपरान्त ही अग्रतर सुनवाई होनी चाहिए जबकि श्री शाही ने यह कहा कि अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची में जो वाद निर्णयार्थ लाया जाता है उसमें सी.पी.सी. अथवा साक्ष्य अधिनियम अथवा अन्य प्रक्रियात्मक अधिनियमों का अक्षरशः अनुपालन की बाध्यता नहीं है क्योंकि अध्यक्ष सक्षम दीवानी न्यायालय की प्रक्रियाओं में बंधे हुए नहीं हैं। अध्यक्ष को मात्र यह सुनिश्चित करना है कि सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाय, नैसर्गिक न्याय का अनुपालन एवं पक्षकारों की सभी दलीलों को सुनने के उपरान्त निर्णय किया जाए।

श्री गिरी द्वारा कहा गया कि 2.15 बजे पटना उच्च न्यायालय केस की सुनवाई है। इनके द्वारा आगे कहा गया कि ''मैंने सारे तथ्य आपके सामने रख दिए हैं। इस संबंध में महाचन्द्र प्रसाद सिंह का केस, रवि एस. नायक का केस, किहोटो होलोहन का केस, जय नारायण प्रसाद निषाद का केस एवं अन्य मामले उद्धृत एवं दाखिल हैं। यहां माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा दिया गया न्याय निर्णय, ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह और कलाभारती एडवरटाइजिंग एवं अन्य मामले से संबंधित न्याय निर्णय भी अटैच किया गया है। हमारे विद्वान साथी ने बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 के कतिपय विन्दुओं के आधार पर जो आपत्ति किया है. यह बिल्कुल निराधार है। एक और

कारण है कि दसवीं अनुसूची से संबंधित यह प्रत्यायुक्त विधान है, मूल अधिनियम में यह नहीं है। श्री गिरी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश महाचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम सभापति, बिहार विधान परिषद् एवं अन्य (2004) 8 एस०सी०सी० 447 के पैराग्राफ 13, 16 एवं 18 तथा रवि एस० नायक एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य 1994 Supp(2)SCC 641 का पैरा 18 को उद्धृत किया गया।

***Mahachandra Prasad Singh (Dr.) v. Chairman, Bihar Legislative Council*, (2004) 8 SCC 747**

13. It may be noted that under Paragraph 8, the Chairman or the Speaker of a House is empowered to make rules for giving effect to the provisions of the Tenth Schedule. The rules being delegated legislation are subject to certain fundamental factors. Underlying the concept of delegated legislation is the basic principle that the legislature delegates because it cannot directly exert its will in every detail. All it can in practice do is to lay down the outline. This means that the intention of the legislature, as indicated in the outline (that is the enabling Act), must be the prime guide to the meaning of delegated legislation and the extent of the power to make it. The true extent of the power governs the legal meaning of the delegated legislation. The delegate is not intended to travel wider than the object of the legislature. The delegate's function is to serve and promote that object, while at all times remaining true to it. That is the rule of primary intention. Power delegated by an enactment does not enable the authority by regulations to extend the scope or general operation of the enactment but is strictly ancillary. It will authorise the provision of subsidiary means of carrying into effect what is enacted in the statute itself and will cover what is incidental to the execution of its specific provision. But such a power will not support attempts to widen the purposes of the Act, to add new and different means of carrying them out or to depart from or vary its ends. (See Section 59 in chapter "Delegated Legislation" in Francis Bennion's *Statutory Interpretation*, 3rd Edn.) The aforesaid principle will apply with greater rigour where rules have been framed in exercise of power conferred by a constitutional provision. No rules can be framed which have the effect of either enlarging or restricting the content and amplitude of the relevant constitutional provisions. Similarly, the rules should be interpreted consistent with the aforesaid principle.

16. Sub-rule (1) of Rule 6 says that no reference of any question as to whether a member has become subject to disqualification under the Tenth Schedule shall be made except by a petition in relation to such member made in accordance with the provisions of the said rule and sub-rule (6) of the same rule provides that every petition shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure for the verification of pleadings. The heading of Rule 7 is "Procedure". Sub-rule (1) of this rule says that on receipt of petition under Rule 6, the Chairman shall consider whether the petition complies with the requirement of the said rule and sub-rule (2) says that if the petition does not comply with the requirement of Rule 6, the Chairman shall dismiss the petition. These Rules have been framed by the Chairman in exercise of power conferred by Paragraph 8 of the Tenth Schedule. The purpose and object of the Rules is to facilitate the job of the Chairman in discharging his duties and responsibilities conferred upon him by Paragraph 6, namely, for resolving any dispute as to whether a member of the House has become subject to disqualification under the Tenth Schedule. The Rules being in the domain of procedure, are intended to facilitate the holding of inquiry and not to frustrate or obstruct the same by introduction of innumerable technicalities. Being subordinate legislation, the Rules cannot make any provision which may have the effect of curtailing the content and scope of the substantive provision, namely, the

Tenth Schedule. There is no provision in the Tenth Schedule to the effect that until a petition which is signed and verified in the manner laid down in CPC for verification of pleadings is made to the Chairman or the Speaker of the House, he will not get the jurisdiction to give a decision as to whether a member of the House has become subject to disqualification under the Schedule. Paragraph 6 of the Schedule does not contemplate moving of a formal petition by any person for assumption of jurisdiction by the Chairman or the Speaker of the House. The purpose of Rules 6 and 7 is only this much that the necessary facts on account of which a member of the House becomes disqualified for being a member of the House under Paragraph 2, may be brought to the notice of the Chairman……

18. ….. For the reasons stated earlier, we are of the opinion that the provisions of Rules 6 and 7 are directory in nature and on account of non-filing of an affidavit as required by sub-rule (4) of Order 6 Rule 15 CPC, the petition would not be rendered invalid nor would the assumption of jurisdiction by the Chairman on its basis be adversely affected or rendered bad in any manner. A similar contention was raised before a Bench presided by Venkatachaliah, C.J. in *Ravi S. Naik* v. *Union of India* [1994 Supp (2) SCC 641] but was repelled……

***Ravi S. Naik v. Union of India*, 1994 Supp (2) SCC 641**

18. ……. It was also submitted that the petitions were also not verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure for the verification of pleadings and thus there was non-compliance of sub-rule (6) of Rule 6 also and that in view of the said infirmities the petitions were liable to be dismissed in view of sub-rule (2) of Rule 7. We are unable to accept the said contention of Shri Sen. The Disqualification Rules have been framed to regulate the procedure that is to be followed by the Speaker for exercising the power conferred on him under sub-paragraph (1) of paragraph 6 of the Tenth Schedule to the Constitution. The Disqualification Rules are, therefore, procedural in nature and any violation of the same would amount to an irregularity in procedure which is immune from judicial scrutiny in view of sub-paragraph (2) of paragraph 6 as construed by this Court in *KihotoHollohan case* [1992 Supp (2) SCC 651] . Moreover, the field of judicial review in respect of the orders passed by the Speaker under sub-paragraph (1) of paragraph 6 as construed by this Court in *KihotoHollohan case* [1992 Supp (2) SCC 651] is confined to breaches of the constitutional mandates, mala fides, non-compliance with Rules of Natural Justice and perversity. We are unable to uphold the contention of Shri Sen that the violation of the Disqualification Rules amounts to violation of constitutional mandates. By doing so we would be elevating the rules to the status of the provisions of the Constitution which is impermissible. Since the Disqualification Rules have been framed by the Speaker in exercise of the power conferred under paragraph 8 of the Tenth Schedule they have a status subordinate to the Constitution and cannot be equated with the provisions of the Constitution. They cannot, therefore, be regarded as constitutional mandates and any violation of the Disqualification Rules does not afford a ground for judicial review of the order of the Speaker in view of the finality clause contained in sub-paragraph (1) of paragraph 6 of the Tenth Schedule as construed by this Court in *KihotoHollohan case*.

अपने तर्क के समर्थन में श्री वाई० वी० गिरी वरीय अधिवक्ता द्वारा विभिन्न सदन, माननीय उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को उद्धृत करते हुए उनकी छाया प्रतियां दाखिल किया गया, जो निम्नांकित है :

Sl. No.	Case Law
1.	Dr. Mahachandra Prasad Singh V. Chairman, Bihar Legislative Council & Ors.(2004) 8 SCC 747
2.	Ravi S. Naik v. Union of India & Ors.1994 Supp (2) SCC 641
3.	Kihoto Hollohan V. Zachillhu & Ors.1992 Supp (2) SCC 651
4	Jai Narayan Prasad Nishad V. The Union of India & Ors 2009 SCC 1399/2009 4 PLJR 240
5	Hon'ble Speaker Bihar Vidhan Sabha, Patna Order dated 01.11.2014
6	Gyanendra Kumar Singh V The State of Bihar & Ors. LPA 83/2015
7	Kalabharti Advertising V Hemant Vimlanath & Ors. 2010 9 SCC 437

इस पर श्री एस०बी०के० मंगलम, अधिवक्ता ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रवि.एस. नायक केस में दिए गए जजमेंट का हवाला हमारे मित्र ने दिया है, उन्हीं दोनों मामलों को यहां उद्धृत किया गया है। इसके आधार पर ही कहा गया है कि सी.पी.सी. की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और शपथ पत्र पर समर्पित नहीं कियागया है। हमने यह नहीं कहा है कि इन्होंने सी.पी.सी. का पालन नहीं किया है। मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि याचिकाकर्त्ता की ओर से दाखिल निर्णय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य के मामले माननीय अध्यक्ष बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक – 01.11.2014 के निर्णय में इसमें बारू राम एआईआर 1959 SC 893, उद्धृत है। परंतु इसमे बारू राम नहीं देखा गया है और गलत पृष्ठ कोट किया गया है नाम बारू राम है जजमेंट कारू राम का है और जजमेंट में पृष्ठ 893 नहीं है, पृष्ठ 93 है। मेरा यही कहना है कि इसमें गलत पृष्ठों का उल्लेख किया गया है।

इस पर माननीय सदस्य डॉ० सुनिल कुमार सिंह के अधिवक्ता श्री वाई०बी०गिरी की सहायक अधिवक्ता सुश्री सृष्टी ने कहा कि इसमें सी.पी.सी. का पालन नहीं करना था और दूसरा जो वे पृष्ठ संख्या कह रहे हैं, वह टाईपिंग एरर है। केस वही है।

उपरोक्त तथ्यों, तर्कों एवं अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं यह पाता हूँ कि Rule– 6 एवं 7 के संबंध में की गयी प्रो०(डॉ०) रामबली सिंह की Maintainability संबंधी आपत्ति की वास्तविकता यह है कि माननीय सदस्य डॉ० सुनिल कुमार सिंह द्वारा दी गयी याचिका दिनांक – 02.11.2023 केवल दो पृष्ठ की है जो याचिकाकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित है एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान के आलोक में सत्यापित (वेरीफाइड) है तथा बीस पृष्ठ का अनुलग्नक भी याचिकाकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित है। वैसे भी श्री वाई०वी गिरी विद्वान अधिवक्ता की ओर से दाखिल निर्णयों में निर्धारित है कि Provisions of Rule 6 & 7 are directory in nature and on account of non-compliance with the provision of order

VI Rule 15(4) of CPC the petition would not be rendered invalid [(2004) 8 SCC 747 Dr. Mahachandra Prasad Singh V. Chairman, Bihar Legislative Council & Ors. एवं Ravi S Naik & Vs Union of India & Ors., 1994 Supp(2) SCC 641] इसलिए प्रो०(डॉ०) रामबली सिंह की ओर से की गई आपत्ति में बल नहीं पाता हूं।

माननीय सदस्य प्रो० (डॉ०) रामबली सिंह ने अपने Written statement raising preliminary issue regarding maintainability of complaint शपथ पत्र से समर्थित दिनांक- 15.12.2023 एवं अपनी सुनवाई के दौरान, कहीं भी माननीय सदस्य डॉ० सुनिल कुमार सिंह के याचिका एवं जवाब में वर्णित अन्य तथ्यों के साथ-साथ यह तथ्य की ''राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य रहते हुए वह विधान मंडल दल के नेता पर मनगढंत आरोप लगाए कि ''तेजस्वी प्रसाद यादव भी पीते हैं शराब''। दल के नीति के खिलाफ अतिपिछड़ा समाज को खंडित करने के उद्देश्य से तेली, तमोली (चौरसिया) और दांगी जाति को मूल अतिपिछड़ा श्रेणी से अलग करने संबंधी बयान दिए एवं बैनर पोस्टर लगाकर पदयात्रा और सम्मेलन किए। इस कार्यक्रम में न तो दल का चुनाव चिह्न पोस्टर पर लगाए और न ही दल का झंडा लगाए। जाति आधारित गणना के खिलाफ बयान दिये कि,: नीतीश सरकार ने जाति आधारित गणना में बड़ी चालाकी से घालमेल किया है इस तरह के बयान से भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए अनर्गल आरोप की पुष्टि होती है'' का खंडन नहीं किया। इसी प्रकार डॉ० सुनिल कुमार सिंह के याचिका के साथ संलग्न पत्रों एवं समाचार पत्रों की छाया प्रति में वर्णित तथ्यों का भी खंडन प्रो० (डॉ०) रामबली सिंह के द्वारा उनको समुचित अवसर प्रदान करने के बावजूद भी उनके द्वारा नहीं किया गया।

इससे स्पष्ट है कि डॉ० सुनिल कमार सिंह के याचिका एवं उसके अनुबंध में प्रो० (डॉ०) रामबली सिंह माननीय सदस्य के विरूद्ध लगाये गये आरोप सही हैं। 10वीं अनुसची के पैराग्राफ 2(1) (क) ''स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ दी, इस्तीफा का पर्याय नहीं है और इसका व्यापक अर्थ है । कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ सकता है, भले ही उसने उस दल की सदस्यता से अपना इस्तीफा न दिया हो। यहां तक कि सदस्यता से औपचारिकता इस्तीफे के अभाव में भी किसी सदस्य के आचरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सस्यता छोड़ दी है, जिसका वह सदस्य है ऐसा रवि एस० नायक बनाम भारत संघ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है।''

साथ ही इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Kihoto Hollohan V. Zachillhu & Ors.1992 Supp (2) SCC 651 के केस में पारित न्याय निर्णय को संदर्भित करना प्रासंगिक है। उक्त केस का पैरा 44 नीचे उद्धृत है :

> "But a political party functions on the strength of shared believes. Its own political stability and social utility depends on such shared beliefs and concerted action of its Members in furtherance of those commonly held principles. Any freedom of its Members to vote as they please independently of the political party's declared policies will not only embarrass its public image and popularity but also undermine public confidence in it which, in the ultimate analysis, is its source of sustenance-nay, indeed, its very survival. (emphasis supplied). Intra-party debates are of course a different thing. But a public image of disparate stands by Members of the same political party is not looked upon, in political tradition, as a desirable state of things.

Griffith and Ryle on parliament Functions, Practice and Procedure (1989 Edn., P. 119) say:

'Loyalty to party is the norm, being based on shared beliefs. A divided party is looked on with suspicion by the electorate. It is natural for Members to accept the opinion of their leaders and spokesmen on the wide variety of matters on which those Members have no specialist knowledge. Generally Members will accept majority decisions in the party even when they disagree. It is understandable therefore that a Member who rejects the party whip even on a single occasion will attract attention and more criticism than sympathy. To abstain from voting when required by party to vote is to suggest a degree of unreliability. To vote against party is disloyalty. To join with others in abstention or voting with the other side smacks of conspiracy.' "

वर्तमान मामले में वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद- 19(1)(क) में नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त है, परंतु यदि कोई नागरिक किसी राजनीतिक दल के सदस्य की हैसियत से सदन का सदस्य है तो उसे अपने आचरण एवं व्यवहार से दल के अनुशासन, संविधान और नियम के अनुपालन हेतु सदैव तत्पर रहते हुए पुनीत कर्तव्य का निर्वहन भी सुनिश्चित करना चाहिए। इसलिए माननीय सदस्य प्रो०(डॉ०) रामबली सिंह का उपरोक्त वर्णित कृत्य, आचरण एवं व्यवहार से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल, राष्ट्रीय जनता दल का स्वेच्छया परित्यिाग कर दिया है।

अत: माननीय सदस्य डा० सुनिल कुमार सिंह, तत्कालीन उप मुख्य सचेतक (सत्तारूढ़ दल) की याचिका दिनांक- 02.11.2023 को स्वीकार करते हुए मैं यह घोषणा करता हूँ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(2) एवं संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा- 2(क) तथा बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 के प्रावधानों के आलोक में बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्य प्रो० (डॉ०) रामबली सिंह इस सदन के सदस्य होने से निरर्हित हो गए हैं।

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 190(3) (क) के प्रावधान के आलोक में बिहार विधान परिषद् में माननीय सदस्य प्रो०(डॉ०) रामबली सिंह का स्थान आज, दिनांक-06.02.2024 अपराह्न के प्रभाव से रिक्त हो गया है।

आदेश से,

पटना, (ह०)-अस्पष्ट

दिनांक- 06.02.2024 **सभापति**

बिहार विधान परिषद् ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 107-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in